खजूरी तुर्कडीह दुग्ध उत्पादक सहकारी समिति, गोंडा

आज से लगभग 6000 वर्ष पूर्व गोंडा भू-भाग पर अयोध्या नगरी के संस्थापक मनु एवं उनके वंशजों का शासन था। महाराज श्रावस्त की पचासवीं पीढ़ी में महाराज रघु कौसलपति हुए। महाराज रघु ने सरयू नदी और अचिरवाती (राप्ती) के बीच एक सुविस्तृत क्षेत्र गोचर भूमि हेतु सुरक्षित कर दी। गायों के निवास भूमि की प्रधानता के कारण कौसल राज्य का यह क्षेत्र गोनर्द कहा जाने लगा, जो वर्तमान में गोंडा के नाम से प्रचलित है।

गोंडा जिला दुग्ध उत्पादक सहकारी संघ लिमिटेड अब एक मंडलीय दुग्ध संघ बन चुका है, इसके इतिहास में जाएं तो इस मण्डल का नाम तुलसीपुर में स्थित माँ पाटेश्वरी देवी के नाम पर देवीपाटन रखा गया। देवीपाटन मण्डल प्रदेश के पूर्वी सम्भाग में स्थित है यह मण्डल चार जिलों से मिल कर बना है जो कि निम्नलिखित है, गोंडा, बहराइच, बलरामपुर एवं श्रावस्ती है। राप्ती, बूढी राप्ती, घाघरा, सरयू, सुआन, कुआनों तथा भकला नदियों के प्रवाह क्षेत्र में बसे होने के नाते यह ज़िला उत्तर प्रदेश के सबसे उपजाऊ जिलों में शामिल है एवं देवीपाटन मण्डल का पूरा भू-भाग तराई क्षेत्र के नाम से भी जाना जाता है। मण्डल की उत्तरी सीमा नेपाल से लगी हुई है, मण्डल का उत्तरी भाग वनों से भरा हुआ है। देवीपाटन मण्डल कृषि प्रधान मण्डल है जहाँ ज्यादातर लोग कृषि पर निर्भर हैं। मण्डल की फसल सघनता 148.7% है। मण्डल के ग्रामीण परिवारों में आय का प्रमुख स्रोत पशुधन है।

वर्ष 1979-80 में दुग्ध उत्पादक सहकारी संघ लिमिटेड, गोण्डा का गठन सहकारिता के सिद्धांतों पर किया गया। दुग्ध संघ में कार्यरत 20000 ली/दैनिक क्षमता के दुग्ध अवशीतन केंद्र को जिला ग्राम्य अभिकरण एवं सेंट्रल सैक्टर योजना के सौजन्य से निर्मित किया गया था। वर्तमान में दुग्ध संघ 20000 ली दूध को अवशीतित करके नगर के उपभोक्ताओं को उपलब्ध कराकर तथा अवशेष दूध को स्टेट मिल्क ग्रिड के माध्यम से दुग्ध उत्पादक सहकारी संघ लिमिटेड लखनऊ व आवश्यकतानुसार अन्य दुग्ध संघों को आपूर्ति कर रहा है।

खजूरी तुर्कडीह दूध उत्पादक सहकारी समिति लिमिटेड भी गाँव आधारित दूध अधिप्राप्ति प्रणाली (VBMPS) उप-योजना के अंतर्गत 30 अगस्त 2016 को शुरू की गई। खजूरी तुर्कडीह में समिति बनने से पूर्व गाँव स्तर पर दूध बेचने का कोई भी उचित प्रबंध नहीं था। पूर्व में उत्पादक दूध बेचने के लिए या तो पास के गाँव में ले जाते या गाँव के स्तर पर ही दूधिया को बेच देते थे। जिससे उन्हें उनके दूध की गुणवत्ता के आधार पर भुगतान नहीं मिल पाता था।

गोंडा दुग्ध संघ के क्षेत्र पर्यवेक्षकों ने गाँव के सर्वेक्षण में बेचने योग्य दूध की उपलब्धता पाई एवं दूध उत्पादकों से चर्चा कर राष्ट्रीय डेरी योजना चरण-I के अंतर्गत समिति खोलने का प्रस्ताव रखा। गाँव में समिति खोलने के लिए बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें समिति से होने वाले फ़ायदे एवं दूध के मूल्य का भुगतान उसकी गुणवत्ता के आधार पर देने की बात कही गयी। साथ ही साथ क्षेत्र पर्यवेक्षकों ने आणंद मॉडल के अंतर्गत समितियों से दुग्ध उत्पादकों को होने वाले फायदों एवं अन्य सुविधाओं